

आदिवासी कल्याण
की

सुशहली योजना



सहकारिता विभाग, राजस्थान

आ दिवासी जिलों के नागरिकों को सहकारी संस्थाओं के सहयोग से उपभोक्ता सामग्री व उर्वरकों के वितरण की अभिनव योजना “ लेम्स खुशहाली ” योजना शुरू की गई है। लेम्स खुशहाली योजना के माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों तक बेहतर उपभोक्ता सेवाएं और उर्वरक सामग्री उपलब्ध कराने पहल की गई है। योजना के तहत राज्य सरकार ने आदिवासी इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता सामग्री का वितरण और उचित मूल्य पर रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं की गाँव में ही उपलब्धता बनाए रखने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। संभवतः राजस्थान देश का एकमात्र और पहला प्रदेश होगा जहां आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्री और किसानों की जरूरत के अनुसार खाद-बीज के वितरण का विस्तृत नेटवर्क बृहदाकार बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समितियों (लेम्स) के माध्यम से तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए राज्य बजट से बजटीय सहायता उपलब्ध कराने की पहल की है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने जिला स्तरीय कार्यालयों को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए इन समितियों को आवश्यक अनुज्ञा पत्र दिलाने, वित्तीय सहयोग, प्रबन्धकीय, तकनीकी व अन्य आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

लेम्स खुशहाली योजना प्रदेश के 6 जिलों में लागू की जा रही है। योजना के तहत इस वर्ष प्रदेश में 200 लेम्स का चयन किया गया है। चयनित समितियों के माध्यम से प्रदेश में आदिवासी गाँव, ग्रामीण, जरूरतमंद लोगों को बिचौलियों के शोषण से बचाकर बेहतर उपभोक्ता सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। इन समितियों द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों से आदिवासी आसानी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण होने वाली वस्तुओं के साथ ही रोजमर्रा के काम की अन्य उपभोक्ता वस्तुएं, खेती के लिए खाद-बीज, कीटनाशक आदि की खरीदारी कर सकेंगे।



योजना का दायरा

- ◆ प्रदेश के आदिवासी छह जिलें
- ◆ उदयपुर, बांसवाड़ा, झुंजरपुर, चित्तोडगढ़, बारां और सिरोही जिले की बृहदाकार बहुउद्देशीय कृषि सहकारी समितियों (लेम्स) में योजना का संचालन
- ◆ पहले चरण में इस वर्ष 200 लेम्स का चयन कर योजना की शुरुआत
- ◆ आगामी चरणों में अन्य लेम्स का भी चयन प्रस्तावित

उद्देश्य

- ◆ आदिवासी क्षेत्र में सहकारी सेवाओं का विस्तार कर बिचौलियों के शोषण से बचाना
- ◆ आदिवासी क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना
- ◆ उन्नत खाद-बीज, कीटनाशक की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- ◆ लेम्स के माध्यम से गाँव में ही उचित मूल्य पर रोजमर्रा के आवश्यकता की उपभोक्ता सामग्री का वितरण
- ◆ गाँव में ही लेम्स द्वारा प्रमाणिक बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का वितरण



वित्तपोषण

- ◆ 200 लेम्स को 2 करोड़ की वित्तीय सहायता
- ◆ प्रति समिति एक लाख रुपए का अनुदान
- ◆ कार्यशीली पूंजी हेतु बजटीय प्राबधान
- ◆ प्रति समिति 2 प्रतिशत की सामान्य ब्याज दर पर कार्यशीली पूंजी हेतु ऋण

विभागीय सहयोग

- ◆ चयनित 200 लेम्स को उचित मूल्य की दुकान के संचालन का जिला रसद अधिकारी से अनुज्ञा पत्र दिलवाया जाएगा
- ◆ कृषि विभाग से प्रमाणित बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि के वितरण का अनुज्ञा पत्र जारी करवाया जाएगा
- ◆ शॉप एवं कॉमर्शियल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत अनुज्ञा पत्र दिलवाना
- ◆ प्रबन्धकीय अनुदान में से अनुज्ञा पत्र एवं मानव संसाधन के लिए निर्धारित फीस का भुगतान
- ◆ क्षेत्र की क्रय-विक्रय सहकारी समिति अथवा सहकारी उपभोक्ता भण्डार से रोजमर्रा की उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराना
- ◆ राजफैड, इफको, कृभको, राज्य बीज निगम, क्रय-विक्रय सहकारी समिति आदि के माध्यम से कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक एवं प्रमाणित बीज आदि उपलब्ध कराना



- ◆ लेम्प्स को तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय मार्गदर्शन व सहयोग दिलाना
- ◆ राइसम आदि से प्रशिक्षण की व्यवस्था
- ◆ आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों का नियोजन
- ◆ 2 प्रतिशत के सामान्य ब्याजदर पर 7 5 हजार रु. की कार्यशील पूंजी, एक बार प्राप्त कार्यशील पूंजी को 1 2 0 दिवस में वापस जमा कराना होगा

ग्रामीणों को सुविधा

- ◆ आदिवासियों को गाँव में ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता सामग्री प्राप्त हो सकेगी
- ◆ आदिवासियों को आसानी से उचित मूल्य पर रोजमर्रा के आवश्यकता की गुणवत्तायुक्त उपभोक्ता सामग्री उचित मूल्य पर प्राप्त हो सकेगी
- ◆ लेम्प्स द्वारा समय पर प्रमाणिक बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि उपलब्ध कराए जा सकेंगे
- ◆ आदिवासियों की अपने क्षेत्र की अपनी सहकारी समिति(लेम्प्स) के माध्यम से गतिविधियों के संचालन से आदिवासी सहजता से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकेंगे



लेम्स खुशहाली योजना आदिवासी कल्याण की दिशा में सहकारिता के माध्यम से राज्य सरकार का बढ़ता कदम है। लेम्स द्वारा संचालित बिक्री केन्द्रों से उचित मूल्य पर आम जरूरत की वस्तुएं और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के तहत वितरित होने वाली वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो सकेगी। आदिवासी क्षेत्र में कार्यरत लेम्स को काम करने के नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे वहीं उपभोक्ता व उर्वरक वितरण क्षेत्र में बिचौलियों के शोषण पर रोक लगाने की दिशा में कारगर सहकारी प्रयास हो सकेगा। बिचौलियों के शोषण से बचाने के साथ ही आदिवासी क्षेत्र में सहकारिता के माध्यम से सशक्त सहकारी उपभोक्ता नेटवर्क विकसित हो सकेगा जिसका सीधा लाभ क्षेत्र के आदिवासी नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा।

उदयपुर

- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, भबराना- उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, ओरवाडिया- उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सेरिया- उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, गिंगला - उचित मूल्य की दुकान / -
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, इटालीखेडा- उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, डाल- उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र

- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, गीबडापाल- उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, झल्लारा उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, जेताना उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, सुरण्ड खेडा उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, धावडिया उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र
- ◆ बृहदाकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समिति, वीरपुरा उचित मूल्य की दुकान / उर्वरक बिक्री केन्द्र





प्रचार अनुभाग, सहकारिता विभाग द्वारा जनहित में प्रकाशित, जनवरी, 10/2000

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन : 0141-2751417, 2751352